न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः—15/2021 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

पंजाब नेशनल बैंक शाखा गोलूवाला जिला हनुमानगढ़ जरिये प्राधिकृत अधि./मु. प्रबन्धक पीएनबी. बैंक कार्यालय SASTRA केंन्द्र, गोयल टावर 3rd Floor, हनुमानगढ़ जंक्शन।

——प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स भारत किरयाना स्टोर जरिये प्रो. सोहनलाल पुत्र भादरा राम C/O HKSB मेन गेट के सामने धान मंडी गोलूवाला, R/O वार्ड नं. 06 गोलूवाला सिहागन, 22 JRK, जिला हनुमानगढ़।

——अप्रार्थीगण व बन्धककर्ता

2. महावीर पुत्र सहीराम
3. रघुवीर सिंह पुत्र सुरेन्द्र कुमार } निवासी वार्ड नं. 10, नजदीक वॉटर वर्क्स, गोलूवाला सिहागन, 22 JRK, जिला हनुमानगढ़।

——जमानती

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र।

आदेश **दिनांकः—23.09.2021**

प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक शाखा—गोलूवाला जरिये प्राधिकृत अधिकारी पीएनबी. बैंक कार्यालय SASTRA केंन्द्र, गोयल टावर 3rd Floor, हनुमानगढ़ जंक्शन की ओर से श्री अमित कुमार वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को दिनांक 27.06.2014 को 6,00,000/—(अखरे छः लाख रूपये) की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई थी। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण सुविधा मय ब्याज के पुनर्भुगतान की सिक्योरिटी के रूप में अपनी आवासीय सम्पत्ति स्थित मकान नं. C/27, वार्ड नं. 10, नजदीक राम बाग, गोलूवाला सिहागन, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 20' गुणा 60' = 1200 वर्गफुट) में स्थित है जो कि महावीर पुत्र सही राम के नाम से है, जिसको आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी बैंक के पक्ष में हित साम्यिक बंधक किया।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के उक्त ऋण को समय पर चुकाने में असफल होने और ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के ऋण खाता को नियमानुसार दिनांक 04.05.2020 को गैर—निष्पादनीय आस्ति(एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया।

अप्रार्थीगण के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक

Web Copy - Not Official

22.12.2020 भेज कर 60 दिन में ऋण राशि 5,02,268.89/—(रूपये पांच लाख दो हजार दो सौ अड़सठ रूपये नवासी पैसे मात्र) दिनांक 30.11.2020 तक का व आगे का ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के अदा करने की मांग की गई। प्रार्थी बैंक के वकील ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई गयी व न ही बंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि बैंक को जमा नहीं करवाई है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को उक्त बंधक शुदा सम्पति का भौतिक कब्जा पुलिस सहायता से दिलाया जावे ताकि अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पति बेचकर बकाया ऋण राशि वसूल की जा सके।

पंजाब नेशनल बैंक शाखा—गोलूवाला जरिये प्राधिकृत अधिकारी पीएनबी. बैंक कार्यालय SASTRA केन्द्र, गोयल टावर 3rd Floor, हनुमानगढ़ जंक्शन के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा पंजाब नेशनल बैंक शाखा—गोलूवाला जरिये प्राधिकृत अधिकारी पीएनबी. बैंक कार्यालय SASTRA केन्द्र, गोयल टावर 3rd Floor, हनुमानगढ़ जंक्शन के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण की सुविधा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास साम्यिक बंधकशुदा आवासीय सम्पत्ति स्थित मकान नं. C/27, वार्ड नं. 10, नजदीक राम बाग, गोलूवाला सिहागन, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ(बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 20' गुणा 60' = 1200 वर्गफुट) में स्थित है जो कि महावीर पुत्र सही राम के नाम से है जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु प्रार्थी बैंक द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ व प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 23.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
हनुमानगढ़